न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नागौर

बइजलास श्री परसाराम आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थना पत्र 29/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सायर भारती दत्तक पुत्र मदन भारती कौम गुसाई निवासी पालडी पिचकिया तहसील मूण्डवा जिला नागौर।		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मूण्डवा।

प्रार्थना पत्र वास्ते रेकर्ड दुरूस्ती

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 राज.ले.रे. एक्ट

आदेश

दिनांक :— 11.05.2017

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इश्तदुआ की कि, प्रार्थी सायर भारती स्व. मदन भारती पुत्र स्व. चन्दन भारती जाति गुंसाई निवासी पालडी पिचकिया तहसील मूण्डवा का दत्तक पुत्र होने से स्व. मदन भारती का उतराधिकारी है। मदन भारती का देहान्त दिनांक 23.8.2011 को हो चुका है तथा मदन भारती की पत्नी मुनकी का देहान्त भी दिनांक 1.6.2016 को हो चुका है, जिनके मृत्यु प्रमाण पत्रों की प्रतियां साथ पेश है।

यह है कि, मदन भारती की कब्जासुद खातेदारी की भूमियां हाल खसरा नं. 105 रकबा 12.05 बीघा, खसरा नं. 105/480 रकबा 12.04 बीघा वाके मौजा पालडी पिचकियां में थी व है तथा खातेदार मदन भारती के देहान्त के पश्चात स्व. मदन भारती के गोद पुत्र यानि प्रार्थी शायर भारती व मदन भारती की पत्नी के नाम फौतगी नामान्तरकरण के जरियें नाम दर्ज किया गया, जिसके संबंध में खतौनी व नामान्तरकरण की नकले साथ पेश है। इस प्रकार प्रार्थी उक्त आराजी का खातेदारी दर्ज हुआ, रहा व है।

यह है कि, खातेदार मदन भारती के देहान्त के पश्चात उसके विधिक उतराधिकारी उसकी पत्नी व दत्तक पुत्र के नाम नामान्तरकरण दर्ज किया उस समय गलती से मदन भारती की पत्नी का नाम मुन्नी पत्नी चंदन भारती दर्ज कर दिया गया, जबकि मदन भारती की पत्नी का नाम मुन्नी न होकर सही नाम मुनकी है लेकिन मुन्नी नाम सेहवन से गलत दर्ज हो गया, इसी प्रकार उसके पति का नाम मदन भारती दर्ज होना चाहिए था लेकिन उसके स्थान पर उसके ससुर का नाम चंदन भारती दर्ज कर दिया गया जो गलत है तात्पर्य यह है कि मुन्नी पत्नी चंदन भारती के स्थान पर सही नाम मुनकी पत्नी मदन भारती दर्ज करना चाहिए था, क्योंकि चंदन भारती तो मुनकी का ससुर था पति का नाम मदन भारती है। जिससे राजस्व रेकर्ड की उक्त गलत इन्द्राजी को दुरूस्त करवा कर मुन्नी पत्नी चंदन भारती के स्थान पर सही नाम मुनकी पत्नी मदन भारती करवाने हेतु प्रावधान के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

यह है कि, प्रार्थी की माता मुनकी पत्नी मदन भारती के अन्य दस्तावेजात जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि सभी दस्तावेजों में सही नाम मुनकी पत्नी मदन भारती ही दर्ज है उक्त सभी दस्तावेजात की फोटो प्रतियां साथ पेश है इसलिए उक्त खसरान की खतौनी में भी सही नाम मुनकी पत्नी मदन भारती दर्ज करवाना अति आवश्यक है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी बाधा नहीं है न ही किसी को आपति ही है।

यह है कि, प्रार्थना पत्र पेश करने का कारण प्रार्थी के कब्जे काश्त सहखातेदारी के उक्त खेताय में प्रार्थी की माता का नाम गलती से मुन्नी पत्नी चंदन भारती दर्ज होने व अन्य सभी दस्तावेजों में सही नाम

सहायक कलक्टर
(SDO),नागौर

मुनकी पत्नी मदन भारती दर्ज होने से व इसकी जानकारी हाल ही में प्रार्थी की माता का देहान्त हो जाने से अपने अकेले के नाम नामान्तरकरण करवाने की आवश्यकता होने व खतौनी की आवश्यकता होने पर पटवारी से खतौनी की नकल लेने पर हुई जिससे प्रार्थी की माता का सही नाम मुनकी पत्नी मदन भारती दर्ज करने हेतु पटवारी वगैरा से निवेदन करने पर उन्होंने कोर्ट से आदेश करवाने का कहा जिससे प्रार्थना पत्र रेकर्ड की दुरूस्ती करवाने हेतु पेश करना आवश्यक हो जाने से सरहद मौजा पालडी पिचकियां तहसील मूण्डवा में उत्पन्न हुआ है।

यह है कि, उक्त भूमि सरहद मौजा पालडी पिचकियां तहसील मूण्डवा में स्थित होने से माननीय न्यायालय को वाद/प्रार्थना पत्र की सुनवाई का क्षैत्राधिकार प्राप्त है।

यह है कि, लैण्ड होल्डर तहसीलदार होने से उन्हे पक्षकार बनाया जाकर यह आवेदन पेश किया जा रहा है।

अतः प्रार्थी की प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र हाजा स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार से सादीर फरमावे–

(अ) कि प्रार्थी के कब्जे काश्त सहखातेदारी के खेताय हाल खसरा नं. 105 रकबा 12.05 बीघा व खसरा नं. 105/480 रकबा 12.04 बीघा वाके मौजा पालडी पिचकिया तहसील मूण्डवा के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी की माता का गलत दर्ज नाम मुन्नी पत्नी चंदन भारती दर्ज हो रखा है जिसको दुरूस्त करते हुऐ सही नाम मुनकी पत्नी मदन भारती दर्ज करने बाबत तहरीर/आदेश तहसीलदार जी मूण्डवा के नाम जारी कर तमाम अधिकार अभिलेखों में सही नाम मुनकी पत्नी मदन भारती दर्ज करवाया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब किये गये। पत्रावली अटल सेवा केन्द्र झुझण्डा पेश हुई। अप्रार्थी की तरफ से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रकरण में मजमे आम में पूछताछ की गई। तहसीलदार मूण्डवा ने अपनी रिपोर्ट में यह अंकित किया कि ग्राम पालडीपिचकिया के खसरा नम्बर 105 रकबा 12.05 बीघा व खसरा नम्बर 105/480 रकबा 12.04 बीघा मे मदन भारती पुत्र चन्दन भारती की मृत्यु पर म्यूटेशन संख्या 1109 पटवारी हल्का झुझण्डा द्वारा दर्ज किया गया। जिसमें मुनकी के पति का नाम मदन भारती की बजाय चन्दन भारती सहवन से दर्ज कर दिया। अतः मुनकी के पति का सही मदन भारती शुद्वि किया जाना उचित है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। मजमे आम में पूछताछ की गई। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी के कब्जे काश्त व सहखातेदारी के खेताय हाल खसरा नम्बर 105 रकबा 12.05 बीघा व खसरा नम्बर 105/480 रकबा 12.04 बीघा मौजा पालडी पिचकिया तहसील मूण्डवा में नकल खतौनी संवत 2069–2072 में दर्ज सहखातेदार मुन्नी पत्नी चन्दन भारती की जगह मुनकी पत्नी मदन भारती दुरूस्त किया जाता है। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार मूण्डवा को लिखा जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नागौर
(SDO), नागौर

आदेश दिनांक 11.05.2017 को मेरे द्वारा मजमे आम में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नागौर
सहायक कलक्टर
(SDO), नागौर